न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 64 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. सुश्री तनीषा पुत्री चेतन कुमार जी आमेटा नाबालिग बविलायत पिता चेतन कुमार, निवासी सुखाडिया कॉलोनी, नीमच रोड़, बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. सुश्री खुशी पुत्री चेतन कुमार जी आमेटा नाबालिग बविलायत पिता चेतन कुमार, निवासी सुखाडिया कॉलोनी, नीमच रोड़, बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रेखा पुत्री स्वर्गीय दुर्गाशंकर पत्नी चेतन कुमार आमेटा, निवासी सुखाडिया कॉलोनी, नीमच रोड़, बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल जी टाया, निवासी 50, अशोक नगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. अजय पिता सुन्दरलाल जी दक, निवासी ई–11–12, हरिदास जी की मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर दि॰
11.07.2022 प्रकरण संख्या 308 / 2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक रे0 सं0 2, 3
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फाचर, तहसील वल्लभनगर में वाद पत्र की परिशिष्ट ''ए'' वर्णित आराजी नंबर 163, 192, 207 कुल किता 3 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में रेखा पुत्री दुर्गाशंकर आमेटा के नाम 1 / 27 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''बी'' की आराजी नंबर 68, 71, 73, 75, 181, 193, 198, 212, 243, 2065 कुल किता 12 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में रेखा पुत्री दुर्गाशंकर आमेटा के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की मौरूसी होकर सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त भूमि दुर्गाशंकर के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई है, जिसमें वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के समान बराबर–बराबर हक हिस्सा होकर रेखा के नाम दर्ज आराजियात में प्रत्येक वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है, किन्तु विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से उसका नाजायज लाभ उठाकर अजनबी व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने पर आमादा है तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण नाबालिग हैं, उन्होंने अपने पिता चेतन कुमार के जरिये अपने नाना की सम्पत्ति बाबत् अपनी माता के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि द्वारा वर्जित होने वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–07–2022 से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–08–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टगण का दावा बार्ड बाय लॉ कदापि नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

गये बिन्दु विधि व साक्ष्य के मिश्रित बिन्दु है, जिनका निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर ही किया जा सकता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्टगण को अपने नाना की सम्पत्ति में अपने माता–पिता के जीवनकाल में हित व अधिकार है अथवा नहीं इसका निस्तारण तो साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण ने अपने नाना की सम्पत्ति में हक अधिकार पाने के लिए अपनी माता के विरूद्ध ही नाबालिग अवस्था में वाद प्रस्तुत किया है, जो बार्ड बाई लॉ होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अपनी माता के विरूद्ध अपने नाना की सम्पत्ति को पैत्रृक बताते हुए अपने माता पिता के जीवनकाल में नाबालिग अवस्था में वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अपनी माता के जीवित रहते उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी जो सम्पत्ति पिता, दादा अथवा परदादा से अर्थात पुरूष वंश की पीढ़ियों से न्यागत होती है, उसे ही पैतृक सम्पत्ति माना जाता है। माता अथवा दादी से प्राप्त सम्पत्ति को पैत्रृक सम्पत्ति नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–07–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

सुश्री तनीषा पुत्री चेतन कुमार आमेटा नाबालिग बविलायत पिता चेतनकुमार नि0 सुखाडिया कॉलोनी, नीचम रोड़ बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य	बनाम	श्रीमती रेखा पुत्री स्व. दुर्गाशंकर पत्नी चेतनकुमार आमेटा, निवासी सुखाडिया नीमच रोड़, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य

अपील नं॰...**64/22**...व नाराजगी डिगरी अदालत ....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**. ....**वल्लभनगर** ...... मुकाम...........मुवर्खे............**11**..............माह..............**07**............**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**21**....माह........**08**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र मेनारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री अजयसिंह हाडा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 11–07–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**21**.......माह.......**08**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested